APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट दांतडा

कालू उर्फ रतन पिता बरदा रेगर
निवासी– कालियास हाल. भीलवाडा

बनाम

शांन्ति पुत्री घीसी रेगर
निवासी– बालाजी का खेडा बरसनी

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53, रा.टी. ए. प्रकरण संख्या– 21/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.06.2018	प्रत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट दांतडा पर पेश हुई । वकील वादी उपस्थित । प्रतिवादीगण अनुपस्थित । वकील वादी के द्वारा कथन किया गया कि मामला मात्र भूमि विभाजन का है , आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या– 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात है , जिसमें वादी का 1/6, व प्रतिवादी संख्या– 1 का 1/6 , प्रतिवादी संख्या– 2 व 3 का 1/3, प्रतिवादी संख्या– 4 व 5 का 1/3 हिस्सा निहित है , और इसी हक हिस्से के अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त चले आ रहे है । आराजीयात संयुक्त खातेदारी की होने से फसल काश्त करनें , फसल काटनें व लगान जमा करानें में परेशानी होती है इसलिये वादी माफिक हिस्से के अनुसार अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी भूमि का विभाजन करवाना चाहता है । मैने वकील वादी को सूना । बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्नानुसार रहा है । वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 मौजा दांतडा तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नं.– 175, 176, 187, 188, 189, 198, 199, 200 , 201, 202, 203, 204, 208, 2047 किता 14 रकबा 51 बीघा 08 बिस्वा भूमि पेमा , भैरु, पिता प्रताप, 1/3, नानू , सुवा पिता मूला 1/3, घीसी पुत्री रुपा 1/3, रेगर सा. देह , के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । और नामान्तरण संख्या 2698 दिनांक 05.09.2013 विरासत से घीसी पुत्री रुपा के बजाय शान्ति पुत्री घीसी रेगर तथा नामान्तरण सख्या 2862 दिनांक 10.06.2015 न्यायालय आदेश से शान्ति पुत्री घीसी 1/3, रेगर के बजाय शान्ति पुत्री घीसी , कालु उर्फ रतन पिता बरदा 1/3, रेगर का नाम दर्ज रिकार्ड आना प्रकट आया है । यहॉ वादी का कथन है कि आराजीयात संयुक्त खातेदारी की होने से फसल काश्त करनें, फसल काटनें, तथा लगान जमा करानें में काफी परेशानी आती है । इसलिये आराजीयात का माफिक हक हिस्से के अनुसार अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी भूमि का विभाजन कराना चाहा है । इसके विपरीत प्रतिवादीगण का कोई जवाब नही , कोई काउण्टर क्लेम प्रस्तुत नही ऐसी स्थिति में वादी के वाद	

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

की पुष्टि स्वतः ही हो जाती है । चूँकि आराजी मुतदाविया के वादी खातेदार कास्तकार है , और खातेदार को अपनी भूमि का विभाजन करनवानें के पूर्ण विधिक अधिकार होने से दावा वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने योग्य है ।

::–निर्णय::–

दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर मौजा दांतडा तहसील हुरडा की आराजी नं.– .– 175, 176, 187, 188, 189, 198, 199, 200 , 201, 202, 203, 204, 208, 2047 किता 14 रकबा 51 बीघा 08 बिस्वा भूमि के खातेदान काश्तकारान के मध्य उनके हक हिस्से के अनुसार अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी भूमि व लगान विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार हुरडा को निर्देश दिये जाते है कि वह आज ही भूमि व लगान का विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय लगान फाटनी प्रस्तुत करें । निर्णय आज 25.06.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट दांतडा पर सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

25.06.2018

तहसीलदार हुरडा के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

1– कालु उर्फ रतन पिता बरदा रेगर साकिन देह के हिस्से में :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
दांतडा	2047/1	02 बीघा 16 बिस्वा	
	187/1	01 बीघा 17 बिस्वा	
	208/1	00 बीघा 13 बिस्वा	
	198/1	00 बीघा 07 बिस्वा	
कुल किता 4		05 बीघा 13 बस्वा	12.97

2– पेमा , भैरु पिता प्रताप 1/2, नानू , सुवा पिता मूला 1/2, रेगर साकिन देह के हिस्से में ,रहन एस.बी.आई. , ए.डी.बी.शाखा हुरडा , हिस्सा सुवा का , बी.ओ.बी. शम्भूगढ , हिस्सा पेमा व नानू का :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
दांतडा	187	01 बीघा 07 बिस्वा	
	188	03 बीघा 11 बिस्वा	

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official
Scanned by CamScanner

	189	04 बीघा 02 बिस्वा		
	198	01 बीघा 13 बिस्वा		
	208	03 बीघा 05 बिस्वा		
	2047	14 बीघा 02 बिस्वा		
कुल किता 6		28 बीघा 00 बिस्वा	64.40	

3– निम्न आराजीयात शामिल में रहेगी :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
दांतडा	175	03 बीघा 14 बिस्वा	
	176	03 बीघा 15 बिस्वा	
	199	01 बीघा 05 बिस्वा	
	200	00 बीघा 12 बिस्वा	
	201	00 बीघा 10 बिस्वा	
	202	00 बीघा 06 बिस्वा	
	203	03 बीघा 10 बिस्वा	
	204	04 बीघा 03 बिस्वा	
कुल किता 8		17 बीघा 15 बस्वा	39.77

उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया । उपस्थित वकील वादी के द्वारा तहसीलदार हुरडा से उक्त प्राप्तुसदा विभाजन प्रस्ताव को सही होकर स्वीकार किया जाना जाहिर किया है ।

मैने भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तदनुसार तहसीलदार हुरड़ा से उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तथा इसी अनुरूप प्रकरण मे अंतिम डिकी पर्चा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है । तद्नुसार अन्तिम डिकी पर्चा तैयार किया जावें पत्रावली सुमार फेसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 25.06.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट दांतडा में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner